5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE | 5 रु. भारत पाँच | 5 रु. भारत पाँच | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण कमांक -एक/2016

1- कन्हैया 2- मुन्ना 3- काशीराम
तीनों पुत्रगण जुजु
4- गणपत 5- सुनुवा पुत्रगण भैरों
6- झडूला 7- किशोरी 8- घनश्याम
पुत्रगण गुलचा
9- सूका 10- किशोरी पुत्रगण गणेशा
11- मुन्नू 12- धन्धू पुत्रगण दरूआ
सभी निवासी ग्राम लारखास तहसील व
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़
2- तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 8, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत - नायब तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 150 अ-19/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 17-7-1995 के अनुसार प्राप्त पट्टे की भूमि पर आवेदकगण के नाम की खसरे में चली आ रही प्रविष्टि को पटवारी व्दारा बिना अधिकार खसरे से विलोपित कर देने के विरूद्ध)

कृ०पृ०30-2

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3105 –एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
18-10-16	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त बड़ागॉव धसान तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 150 अ–19/1995–96 में पारित आदेश दिनॉक 17–7–1995 से आवेदकगण के हित में ग्राम लार खास स्थित भूमि सर्वे कमांक 634/4 रकबा 3–827 हैक्टर (वाद का सॅशोधित रकबा 3–301 हैक्टर) के दिये गये पट्टे अनुसार खसरे में चली आ रही भूमिस्वामी के नाम की प्रविष्टि खसरे से विलोपित कर देने के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त बड़ागॉव धसान तहसील टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 150 अ–19/1995–96 में पारित आदेश दिनॉक 17–7–1995 से आवेदकगण के हित में ग्राम लार खास स्थित भूमि सर्वे कमांक 634/4 रकबा 3–827 हैक्टर (वाद का सॅशोधित रकबा 3–301 हैक्टर) (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का पट्टा प्रदान किया। पट्टा अनुसार शासकीय अभिलेख में आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि अंकित चली आ रही थी, किन्तु नवीन खसरा निर्माण के दौरान हलका पटवारी ने आवेदकगण के नाम के बजाय	

भूमि शासकीय अंकित कर दी। आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुसार जब आवेदकगण ने बैंक ऋण हेतु बैंकर्स से संपर्क किया तब नवीन वर्ष के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने पर पता चला कि भूमि शासकीय अंकित हो चुकी है, तब अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर तहसीलदार टीकमगढ़ से संपर्क करने सॅशोधन आवेदन दिया, किन्तु तहसीलदार ने आगे के दिनों में बुलाया और जब आवेदकगण तहसीलदार के समक्ष 5-9-16 को पहुंचे तो उन्होंने मुहूँ जवानी कार्यवाही से इंकार करते हुये सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की सलाह दी , तब यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि नायव तहसीलदार वृत्त बड़ागॉव धसान तहसील टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 150 अ-19/1995-96 में आदेश दिनॉक 17-7-1995 से आवेदकगण के हित में ग्राम लार खास स्थित भूमि सर्वे कमांक 634/4 रकबा 3-827 हैक्टर (वाद का सॅशोधित रकबा 3-301 हैक्टर) का पटटा प्रदान किया है जो तहसील न्यायालय व्दारा आवेदकगण को जारी की गई पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है और इस प्रमाणित प्रतिलिपि के खण्डन पर अनावेदक के अभिभाषक मौन रहे हैं।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने नायव तहसीलदार

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3105 –एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
	टीकमगढ़ व्दारा आवेदकगण के हित में जारी भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका की प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर बताया गया कि आवेदकगण के नाम वादोक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है पुष्टिकरण में आवेदकगण की ओर से भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका की की छायाप्रति प्रस्तुत हुई है,जिससे आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क की पुष्टि होती है कि आवेदकगण संयुक्त रूप से ग्राम लार खास स्थित भूमि सर्वे कमांक 634/4 रकबा 3–827 हैक्टर (वाद का सॅशोधित रकबा 3–301 हैक्टर) के भूमिस्वामी हैं। 6/ नामांतरण पंजी के सरल कमांक 25 पर की गई प्रविष्टि दिनांक 20–4–96 की प्रमाणित प्रतिलिपि (जो तहसील न्यायालय से आवेदकगण को जारी की गई है) प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण के नाम जारी किये गये पटटा आदेश दिनांक 17–7–1995 के पटटे का अमल भूमिस्वामी स्वत्व पर कराये जाने का निर्णय इसमें अंकित है, इससे भी आवेदकगण ग्राम लार खास स्थित भूमि सर्वे कमांक 634/4 रकबा 3–827 हैक्टर (वाद का सॅशोधित रकबा 3–301 हैक्टर) के भूमिस्वामी होना प्रमाणित हैं। 7/ तहसील न्यायालय से आवेदकगण को जारी की गई	

खसरा वर्ष 1995–96 लगायत 99–2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि आवेदकगण के नाम वादोक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व अंकित चली आ रही है किन्तु खसरा वर्ष 2016–17 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार खसरे के कालम नंबर 3 में भूमि (शासकीय) शब्द लिख दिया गया है एंव आवेदकगण के नाम को हटा दिया गया है । आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को बिना सक्षम आदेश के हलका पटवारी ने नवीन खसरा बनाते समय आवेदकगण का नाम हटाकर शासकीय लिखा है जबकि हलका पटवारी को बिना सक्षम आदेश के खसरे से किसी भी भूमिस्वामी के नाम को विलोपित करने की शक्तियॉ प्राप्त नहीं है। खसरा प्रविष्टियों अनुसार आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता है क्योंकि पटवारी को किसी भी भूमिस्वामी के नाम को खसरे से विलोपित करने अथवा नवीन खसरा बनाते समय खसरे में सँशोधन करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :–

" धारा 117 – भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधाणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। "

गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) ने व्यवस्था दी है कि (यद्यपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो उसके सही

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 3105 –एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
	होने का अनुमान किया जाये। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा). गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी गई है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी). अतएव आवेदकगण के नाम खसरा वर्ष 1995–96 से भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टियों के बारे में अनुमान के आधार पर अन्यथा अर्थ लगाया जाकर उनके स्वत्व एंव स्वामित्व में छेड़छाड़ करना अथवा खसरे में काटछॉट करना न्यायिक प्रकिया के विरूद्ध कार्यवाही मानी जावेगी , क्योंकि शासकीय अभिलेख अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों / कर्मचारियों का है। 8/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पटटा प्राप्ति के वाद से वादोक्त भूमि को आवेदकगण ने पइत से कृषि योग्य बनाया है तथा समतल करने में काफी मेहनत की है। इसी भूमि पर आवेदकगण ने सिंचाई साधन बनाने में काफी धन खर्च किया है। आवेदकगण अलग अलग भाईयों की संतानें हैं एंव अब 12 परिवारों में विभक्त हो चुके है यदि वर्ष 1995 में दिये गये पटटे की भूमि उनसे वापिस ली जाती है तब आवेदकगण को परिवारों का पालन–	

पोषण करना मुश्किल हो जावेगा। यदि आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय –

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरूद्व नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्व नहीं किया जा सकता।

विचाराधीन प्रकरण में हलका पटवारी ने अधिकारविहीन कार्यवाही करते हुये आवेदकगण के नाम की खसरे में चली आ रही भूमिस्वामी के नाम की प्रविष्टि को नवीन खसरा बनाते समय बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय अंकित करने की त्रृटि की है एंव दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित होने के वाद तहसीलदार टीकमगढ़ ने आवेदकगण के आवेदन पर कार्यवाही न करते हुये सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह देने की भूल की है जिसके कारण आवेदकगण को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है ।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8

प्र0क03105–एक/2016निगरानी

के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम लार खास स्थित भूमि सर्वे कमांक 634/4 रकबा 3–827 हैक्टर (वाद का सँशोधित रकबा 3–301 हैक्टर) पर चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में यथावत् अंकित करावें।

रजिस्ट्रार